

मुकदमों का विवरण

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड v.

दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस। (2023 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 1195)

(2023 की सिविल अपील संख्या 6108) 30 अक्टूबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.]
हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:ऑर्डर dtd.13.10 करें।²³ उच्चतम न्यायालय द्वारा एनसीएलएटी को फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक के परिणाम घोषित होने के बाद ही लंबित अपील में निर्णय देने का निर्देश दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि एन. सी. एल. ए. टी. का ध्यान उच्चतम निर्णय के आदेश की ओर खींचा गया था, इसने उसमें दिए गए निर्देश की अनदेखी करते हुए फैसला सुनाया। कहा गया आदेश, यदि जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना में था।

अवमानना-ई. ओ. जी. एम. **dtd.03.05** से पहले उपलब्ध यथास्थिति को बहाल करते हुए आदेश सुरक्षित रखने के चरण में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित अंतरिम निर्देश। **19** सुप्रीम न्यायालय द्वारा खाली किया गया था-आदेश को खाली करते समय, यह नोट किया गया था कि फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक (ए. जी. एम.) **29.09.23** पर होनी थी और निर्देश दिया गया था कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर की गई कोई भी कार्रवाई एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित अपील के परिणाम के अधीन होगी-अवमानना याचिका में उल्लिखित कार्यवाही, सुप्रीम न्यायालय को अवगत कराते हुए कि ए. जी. एम. के परिणाम की घोषणा को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा निर्णय की घोषणा तक स्थगित कर दिया गया था। **23**, जाँचकर्ता को ए. जी. एम. का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया था और एन. सी. एल. ए. टी. को इस तथ्य से विधिवत अवगत होने के बाद कि ए. जी. एम. का परिणाम घोषित किया गया था, लंबित अपील में अपना निर्णय घोषित करने का निर्देश दिया गया था-याचिकाकर्ताओं की शिकायत कि एन. सी. एल. ए. टी. को हालांकि **1023** से अवगत कराया गया था।

1022

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

उक्त आदेश के अनुसार, इसने निर्णय देने के लिए आगे बढ़कर उसमें दिए गए निर्देश को नजरअंदाज कर दिया-एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष ने स्थिति को सत्यापित करने और

प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया-ए. एफ. आई. डेविट्स एफ. आई. दो सदस्यों के नेतृत्व में जिन्होंने एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ का गठन किया और जांचकर्ता द्वारा:

आयोजित किया गया:सी. सी. टी. वी. फुटेज के साथ-साथ प्रतिलिपि से, यह निस्संदेह स्पष्ट है कि यद्यपि एन. सी. एल. ए. टी. को इस तथ्य से विधिवत अवगत कराया गया था कि इस न्यायालय ने सुबह के सत्र में इस आशय का आदेश पारित किया था कि निर्णय जांचकर्ता द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही सुनाया जाएगा, एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने इस न्यायालय के आदेश पर ध्यान देने अपास्त करते हुए कर दिया-एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने इस तथ्य के बावजूद आदेश की जानबूझकर अवहेलना की कि इस न्यायालय के आदेश की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया था-सदस्य (तकनीकी) द्वारा दी गई बिना शर्त माफी स्वीकार की गई-सदस्य (न्यायिक) के संबंध में, उनके द्वारा जो कहा गया था वह रिकॉर्ड के विपरीत था-यह था[पैरा 19,21-24,26,28,31 और 33]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

अंतर्निहित न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 6108 में 2023 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1195।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के 2020 के कंपनी अपील (ए. टी.) No.64 में नई दिल्ली की प्रधान पीठ के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, कुणाल मेहता, शिखिल सूरी, अभिनव अग्रवाल, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

1024

/

[2023] 15 एस सी आर।

तुषार मेहता, एस. जी., श्याम दीवान, मनिंदर सिंह, डेरियस खंबाटा, डॉ. ए. एम. सिंघवी, कृष्णेंद्र दत्ता, पी. एस. पटवालिया, प्रशांतो सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित जाजू, मलक मनीष भट्ट, सुश्री वत्सला पंत, मंदीप सिंह, सोमशेखर सुंदरेसन, रवि गडगकर, नितिन सलूजा, साहिल मोंगिया, सुश्री इशिता सोनी, सुश्री सिमरान खुराना, सुश्री प्राण्या मदान, अंकुर सहगल, ई. सी. अग्रवाल, शाश्वत सिंह, सुश्री गीतिका शर्मा, अमित पवन, सुचित सिंह रावत, सुश्री शिवांगी, आनंद नंदन, आकाश, हसन जुबैर वारिस, कानू अग्रवाल, माधव सिंहल, भुवन कपूर, दीपक खोसला, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1 26 सितंबर 2023 के इस न्यायालय के आदेश में पृष्ठभूमि निर्धारित की गई है। पृष्ठभूमि को दोहराने के बजाय, हम इसे नीचे देते हैं: “1 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 1 ने 31 दिसंबर 2019 के एक आदेश द्वारा अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम प्रतिवादी के नेतृत्व में आवेदन को खारिज कर दिया। प्रथम प्रतिवादी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण 2 के समक्ष अपील में है। मान लीजिए कि अपील के लंबित रहने के दौरान प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।

2 अपील पर सुनवाई की गई है और 21 सितंबर 2023 को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा आदेश सुरक्षित रखे गए थे। हालांकि, आदेश सुरक्षित रखते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. ने पक्षों को “निर्णय दिए जाने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है जो ई. ओ. जी. एम. दिनांक 03.05.2019 से पहले उपलब्ध थी।” एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने के लिए भी कोई कारण नहीं बताया गया है, विशेष रूप से इस तथ्य के संदर्भ में कि 31 दिसंबर 2019 को अंतरिम राहत के लिए आवेदन खारिज होने के बाद से कोई अंतरिम राहत नहीं मिल रही थी। यह स्वीकार किया जाता है कि बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भी प्रथम प्रतिवादी द्वारा कोई राहत प्राप्त नहीं की गई थी।

1 “एन. सी. एल. टी. ”2” एन. सी. एल. ए. टी.

1025

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

3 इन परिस्थितियों में, हम ऊपर बताए गए अंतरिम निर्देश को छोड़ देते हैं। कंपनी की वार्षिक आम बैठक (ए. जी. एम.), फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, 29 सितंबर 2023 को होनी है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावित प्रस्ताव संख्या 4 पर की गई कोई भी कार्रवाई एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित अपील के परिणाम के अधीन होगी।

4 उपरोक्त संशोधनों के अधीन, अपीलों की अनुज्ञात जाती है और आक्षेपित आदेश को उपरोक्त सीमा तक अलग कर दिया जाता है। 5 लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। ”

2 इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा, अंतरिम निर्देश जो एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 21 सितंबर 2023 को आदेश सुरक्षित रखने के चरण में पारित किया गया था, “जैसा कि 3 मई 2019 की ई. ओ. जी. एम. से पहले उपलब्ध था”, को इस बात को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया था कि:

((i) कोई कारण नहीं बताया गया था;

((ii) 31 दिसंबर 2019 को अंतरिम राहत के लिए आवेदन खारिज होने के बाद से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है; और

((iii) बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में प्रथम प्रतिवादी द्वारा कोई राहत प्राप्त नहीं की गई थी।

3 अंतरिम आदेश को खाली करते हुए, इस न्यायालय ने नोट किया कि फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर 2023 को होनी थी और विशिष्ट रूप से निर्देश दिया कि "कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावित प्रस्ताव संख्या 4 पर की गई कोई भी कार्रवाई एनसीएलएटी के समक्ष लंबित अपील के परिणाम के अधीन होगी"।

4 इसके बाद 13 अक्टूबर 2023 को, 2023 की अवमानना याचिका संख्या 1195 में सुबह के सत्र में इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख किया गया था, जब न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि एजीएम के परिणाम की घोषणा को एनसीएलएटी द्वारा निर्णय की घोषणा तक स्थगित किया जा रहा था। प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देते हुए, इस अदालत ने कहा:

“हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा निर्णय दिए जाने तक परिणाम की घोषणा को स्थगित करके आदेश के जनादेश को पराजित नहीं किया जा सकता है।

1026

/

[2023] 15 एस सी आर।

5 इस न्यायालय ने विशेष रूप से निम्नलिखित निर्देश जारी किए: “5 जाँचकर्ता, इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 29 सितंबर 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के परिणाम को तुरंत घोषित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

6 एन. सी. एल. ए. टी. इस तथ्य से विधिवत अवगत होने के बाद कि वार्षिक आम बैठक का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लंबित अपील में अपना निर्णय घोषित करने के लिए आगे बढ़ेगा। ”

6 इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देश दो भागों में थे। जाँचकर्ता पर लागू होने वाले पहले भाग में इस आशय का एक विशिष्ट निर्देश था कि पिछले आदेश के अनुपालन में, जाँचकर्ता 29 सितंबर 2023 को आयोजित ए. जी. एम. का परिणाम घोषित करने के लिए आगे बढ़ेगा। दूसरा भाग, जो एन. सी. एल. ए. टी. को एक निर्देश था, विशेष रूप से इस आशय का था कि एन. सी. एल. ए. टी. इस तथ्य से विधिवत अवगत होने के बाद कि ए. जी. एम. का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लंबित अपील में अपना निर्णय घोषित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

7 13 अक्टूबर 2023 को दोपहर के सत्र में, याचिकाकर्ताओं की ओर से इस न्यायालय के समक्ष एक शिकायत की गई थी कि हालांकि एन. सी. एल. ए. टी. को इस न्यायालय के आदेश से इस अनुरोध के साथ अवगत कराया गया था कि जब तक जाँचकर्ता की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए, एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ आदेश देने के लिए आगे बढ़ी थी।

8 नतीजतन, इस न्यायालय ने प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया और एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष से स्थिति का विधिवत सत्यापन करने और न्यायालय को वापस रिपोर्ट करने की अपेक्षा की। आदेश के पैराग्राफ 3 से 9 नीचे दिए गए हैं:

“3 श्री नीरज किशन कौल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील और श्री शिखिल सूरी, वकील ने यह कहते हुए भाग लिया कि वकील, श्री अंकुर सहगल (जो व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं) ने दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष इस न्यायालय के आदेश को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि जब तक जांचकर्ता की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए।

4 न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि श्री राकेश कुमार और डॉ. आलोक श्रीवास्तव की एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ आदेश देने के लिए आगे बढ़ी। यदि जो कहा गया है वह 1027 है

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

सही है, यह स्पष्ट रूप से एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का गठन करेगा।

5 इस स्तर पर हम प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

6 न्यायालय को सूचित किया जाता है कि जांचकर्ता की रिपोर्ट दोपहर 2.40 बजे अपलोड की गई थी।

7 हम निर्देश देते हैं कि उपरोक्त आरोपों की जांच एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों से तथ्यों को विशिष्ट रूप से सत्यापित करने के बाद 16 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे तक इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

8 एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष विशिष्ट रूप से सत्यापित करेंगे: (i) कि इस न्यायालय का 13 अक्टूबर 2023 का आदेश सुबह के सत्र में पारित किया गया था, दोनों न्यायाधीशों के ध्यान में लाया गया था;

((ii) यदि ऐसा है, तो वे परिस्थितियाँ जिनमें न्यायाधीश सुबह के सत्र में पारित किए गए इस न्यायालय के आदेश के स्पष्ट जनादेश के बावजूद निर्णय देने के लिए आगे बढ़े।

9 हम इस संबंध में तत्काल उल्लेख किए जाने पर असाधारण परिस्थितियों में यह आदेश पारित कर रहे हैं। ”

9 इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर 18 अक्टूबर 2023 के इस न्यायालय के आदेश में ध्यान दिया गया था। इस न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“7 इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. के विद्वान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने न्यायाधीशों से उचित सत्यापन के बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में दो अलग-अलग बयानों का उल्लेख किया गया है जो अध्यक्ष के समक्ष दिए गए हैं। श्री राकेश कुमार, सदस्य (न्यायिक) का बयान रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया है:

1028

/

[2023] 15 एस सी आर।

“न्यायमूर्ति राकेश कुमार, सदस्य (न्यायिक) ने अपने दिनांकित 16.10.2023 पत्र के माध्यम से जवाब दिया है जो मुझे 16.10.2023 के दोपहर के भोजन के समय प्राप्त हुआ था। जवाब में, सदस्य (न्यायिक) ने कहा है, “मैं सूचित कर सकता हूँ कि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे कंपनी अपील (एटी) संख्या (दीपक छाबरिया और एक अन्य) की पूरक कारण सूची में इसकी घोषणा के लिए” निर्णय के लिए “शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। उक्त पूरक कारण सूची एक दिन पहले यानी गुरुवार, 12.10.2023 को अपलोड और प्रकाशित की गई थी। मेरे स्वामी इस बात से अवगत हैं कि इस न्यायाधिकरण की पीठ में जिस सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, वह यह है कि निर्णय (ओं)/आदेश (ओं) की घोषणा के बाद उल्लेख पर विचार किया जाता है। मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं हूँ और इसलिए मुझे प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तदनुसार यहाँ स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय शुक्रवार i.e. 13.10.2023 को सुनाया गया था।”

8 अध्यक्ष के सदस्य (तकनीकी) डॉ. आलोक श्रीवास्तव का बयान निम्नलिखित शब्दों में है:

“आई. डी. 1 को, जब पीठासीन न्यायाधीश और मैं दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में न्यायालय कक्ष संख्या 2 में प्रवेश किया, तो यह वकीलों से भरा हुआ था और न्यायालय कक्ष में असामान्य रूप से भारी शोर था।

पूरक कारण सूची में कुल 26 मामले और दैनिक कारण सूची में 18 मामले “निर्णय के लिए/प्रवेश के लिए (नए मामले)/प्रवेश के लिए (सूचना के बाद)/आदेशों के लिए/सुनवाई के लिए” श्रेणियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए थे, जिन्हें दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में लिया जाना था।

एन. सी. एल. ए. टी. में अपनाई गई प्रथा कारण सूची में सूचीबद्ध निर्णयों की घोषणा के बाद “उल्लेख” करना है।

जैसे ही दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के लिए कार्यवाही शुरू हुई, और 2020 के "फैसले के लिए" मामले सीए (एटी) No.64 को बुलाया गया (जैसा कि शुरुआत में "फैसले के लिए" मामलों को लेने की प्रथा है), कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जिस पर 1029

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

पीठासीन न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कृपया उसे रिकॉर्ड में लाएं।

इसके बाद उक्त निर्णय की घोषणा पूरी हो गई।

यह इंगित किया जा सकता है कि दोपहर के भोजन के समय जब मैं अपने कार्यालय कक्ष में उपलब्ध था, तब किसी भी वकील ने मुझे मौखिक रूप से निर्णय नहीं सुनाया और न ही उक्त आदेश की प्रति न्यायालय मास्टर को प्रदान की गई थी। अगर ऐसा किया जाता तो शायद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती।

मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च सम्मान और सम्मान देता हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं रहा है।

मुझे इस बात का गहरा खेद है कि इस मामले में ऐसी स्थिति पैदा हुई और मैं इसके लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। "

9 सदस्य (तकनीकी) ने 13 अक्टूबर 2023 को अपील में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष हुई घटनाओं का उल्लेख किया है। रिपोर्ट का पैराग्राफ 5 इस प्रकार है:

“मैंने न्यायिक सदस्य के साथ-साथ तकनीकी सदस्य द्वारा दी गई प्रतिक्रिया ली है। 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) No.64 को न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य की गठित पीठ के समक्ष न्यायालय No.II में निर्णय के लिए सूचीबद्ध किया गया था। न्यायालय के एकत्रित होने के बाद, न्यायालय में उपस्थित पक्षों के विद्वान वकील ने पीठ से अनुरोध करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की, हालांकि, पीठ ने विद्वान वकीलों द्वारा उल्लेख की अनुमति नहीं देते हुए निर्णय सुना दिया। दिनांकित 13.10.2023 आदेश की प्रति न तो न्यायालय कार्यालय को दी गई थी और न ही पीठ को। पीठ ने वकील की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ी। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2023 के आदेश की अज्ञानता में सुनाया गया था। "

10 अध्यक्ष की रिपोर्ट में 16 अक्टूबर 2023 के एक आदेश का भी उल्लेख किया गया है जिसे बाद में एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में पारित किया:

“16.10.2023:13.10.2023 पर उपरोक्त अपील में निर्णय सुनाया गया था। शाम को रजिस्ट्री ने एन. सी. एल. ए. टी. के पंजीयक को संबोधित 05.35 पी. एम. पर जारी 13.10.2023 दिनांकित एक ई-मेल को संज्ञान में लाया, जिसमें सी. ए. No.6108/2023 में अवमानना याचिका (सी) No.1195/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश शामिल था। आदेश प्रस्तुत किए जाने के बाद हमने उसी पर विचार किया और हमने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 1 उप-पैराग्राफ 6 में अपने आदेश में निर्देश दिया था कि लंबित अपील में निर्णय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस तथ्य से विधिवत अवगत होने के बाद दिया जाएगा कि वार्षिक आम बैठक का परिणाम घोषित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम इस न्यायालय के दिनांकित निर्णय को निलंबित करने के लिए एक आदेश पारित करें जब तक कि इस अपीलीय न्यायाधिकरण को इस तथ्य से विधिवत अवगत नहीं कराया जाता है कि वार्षिक आम बैठक का परिणाम घोषित किया गया है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश के अधीन है। ”

11 वर्तमान स्तर पर न्यायालय के समक्ष दो मामले हैं: (i) एक "सीमित संबंध" जिसका नेतृत्व प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से किया गया है; और

((ii) याचिकाकर्ता की ओर से जवाबी कार्रवाई।

12 हमने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री रंजीत कुमार और प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान और श्री रामजी श्रीनिवासन को सुना है। जांचकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्री डेरियस खंबाटा पेश हुए हैं।

13 याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी दोहराते हैं, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जब उसने 13 अक्टूबर 2023 को दूसरे सत्र में अपना आदेश पारित किया था कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्री अंकुर सहगल ने इस न्यायालय के आदेश को दोपहर 2 बजे एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया था कि जब तक जांचकर्ता की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से 13 अक्टूबर 2023 के आदेश के पैराग्राफ 3 में दर्ज किया गया था।

ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

14 एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी श्रीनिवासन ने इस न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से कहा है कि इस न्यायालय का आदेश जो 13 अक्टूबर 2023 को पारित किया गया था, विधिवत रूप से चुनाव लड़ने वाले पक्षों को

सूचित किया गया था। इसके अलावा, श्री रामजी श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि दोपहर लगभग 2.15 बजे जब एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ की बैठक हुई, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 13 अक्टूबर 2023 को सुबह के सत्र में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की एक प्रति एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को देने की मांग की और पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि इस न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय न्यायालय को ए. जी. एम. के परिणामों से अवगत कराने के बाद ही दिया जाएगा। हालाँकि, जैसा कि स्थिति बनी हुई है, एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने निर्णय घोषित करने के लिए आगे बढ़े। श्री रामजी श्रीनिवासन ने आगे कहा कि उन्होंने पीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि ने पहले ही एजीएम में प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कर दिया था।

15 इस न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए बयानों के अलावा, प्रथम प्रतिवादी के नेतृत्व में दायर किए गए हलफनामे में निम्नलिखित कथन शामिल हैं:

“13.10.2023 को, अवमानना याचिका पर इस माननीय न्यायालय द्वारा लगभग 12.20 बजे प्रारंभिक सुनवाई की गई थी। 13.10.2023 को, उस तारीख को अपना पहला ऑर्डर पारित किया गया, जो लगभग 1.55 बजे ("पहला ऑर्डर") उपलब्ध हुआ। इस माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को ए. जी. एम. का परिणाम तुरंत घोषित करने का निर्देश दिया जो 29.09.2023 पर आयोजित किया गया था। इस माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि लर्नड एन. सी. एल. ए. टी. इस तथ्य से विधिवत अवगत होने के बाद कि ए. जी. एम. का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लंबित अपील में अपना निर्णय घोषित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

इस माननीय न्यायालय द्वारा पहले आदेश में खुली अदालत में दिए गए निर्देशों को प्रतिवादी संख्या 1 को उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से लगभग 12.30 बजे सूचित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश देने के लिए तुरंत एफ. सी. एल. के कंपनी सचिव को बुलाया। "

16 एफ़. आई. डेविट में आगे कहा गया है कि 13 अक्टूबर 2023 को जांचकर्ता की रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस पर अपलोड करने की मांग की गई थी।

1032

/

[2023] 15 एस सी आर।

इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर, लेकिन चूंकि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के आधिकारिक सर्वरों ने जवाब देने में समय लिया, इसलिए रिपोर्ट को क्रमशः दोपहर 2.41 बजे और 2.44 बजे अपलोड किया गया। प्रथम प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित शब्दों में खुलासा किया है कि इस न्यायालय के 13 अक्टूबर के आदेश के बाद एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष क्या हुआ:

“लगभग 02.15 बजे, जब NCLAT अपील को 'निर्णय के लिए' बुलाया गया, तो Ld। मेरा प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने लर्नड एन. सी. एल. ए. टी. को पहले आदेश और उसमें निहित निर्देशों के बारे में सूचित किया। एन. सी. एल. ए. टी. को यह भी सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव संख्या 4 के खिलाफ मतदान किया था। यह भी बताया गया कि समेकित स्क्रीनिंग की रिपोर्ट अपलोड की जा रही है। लर्नड एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांकित 13.10.2023 ("एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय") के कार्यकारी भाग का उच्चारण करने के लिए आगे बढ़े, जो लगभग 2 बजे हुआ: 15 पी एम। एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय केवल शाम 4:30 बजे लर्नड एन. सी. एल. ए. टी. की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था और उसके बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया था।” (जोर दिया गया)

17 हम सबसे पहले उस रिपोर्ट पर विचार करेंगे जो एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पीठासीन न्यायाधीश, श्री राकेश कुमार, सदस्य (न्यायिक) का कहना है कि अपील को 12 अक्टूबर 2023 को अपलोड की गई पूरक कारण सूची में निर्णय की घोषणा के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उनका कहना है कि न्यायाधिकरण में जिस सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वह यह है कि निर्णयों/आदेशों की घोषणा के बाद उल्लेख पर विचार किया जाता है और चूंकि वह "संवैधानिक पद पर नहीं हैं" इसलिए उन्हें "प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है"। सदस्य (न्यायिक) ने इसलिए कहा है कि "यहां स्थापित प्रक्रिया के अनुसार" निर्णय 13 अक्टूबर 2023 को सुनाया गया था।

18 दूसरी ओर सदस्य (तकनीकी) का कहना है कि जब निर्णय के लिए सूचीबद्ध मामले में दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में कार्यवाही बुलाई गई, तो "कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिस पर पीठासीन न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आप जो कुछ भी चाहते हैं 1033

ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

अगर ऐसा होता है, तो कृपया इसे रिकॉर्ड पर लाएं, जिसके बाद निर्णय की घोषणा की गई। सदस्य (तकनीकी) ने इस न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी है। ये तथ्य सदस्य (न्यायिक) के बयान में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।¹⁹ न तो सदस्य (न्यायिक) का बयान और न ही सदस्य (तकनीकी) द्वारा दिया गया बयान इस तथ्य का उल्लेख करता है कि इस न्यायालय द्वारा सुबह के सत्र में पारित 13 अक्टूबर 2023 के आदेश को एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को उन निर्देशों के साथ सूचित किया गया था जो उसमें निहित थे। दोपहर के सत्र में पारित 13 अक्टूबर 2023 के आदेश के पैराग्राफ 3 में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील का बयान कि एनसीएलएटी की पीठ को दोपहर के सत्र में इस न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया था, दर्ज किया गया था। एफ. आई. डी. ए. वी. टी. पर प्रथम प्रतिवादी का भी यह स्पष्ट मामला है क्योंकि उन्होंने कहा है कि लगभग 2.15 बजे जब एन. सी. एल. ए. टी. की अपील निर्णय के लिए बुलाई गई थी, तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने

एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश और उसमें निहित निर्देशों के बारे में सूचित किया। न तो सदस्य (न्यायिक) का बयान और न ही सदस्य (तकनीकी) का बयान एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष को यह बताता है। वास्तव में, सदस्य (न्यायिक) के बयान से यह संकेत मिलता प्रतीत होता है कि निर्णय की घोषणा से पहले किसी भी उल्लेख की अनुमति नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर किसी भी वकील को सुने बिना निर्णय दिया गया था। इसी तरह, सदस्य (तकनीकी) का बयान इंगित करता है कि जबकि कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, पीठासीन अधिकारी ने इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी थी और निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़े थे। मामला यहीं नहीं रुका है।

20 16 अक्टूबर 2023 को, एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा था कि न्यायाधिकरण की रजिस्ट्री ने इस न्यायालय द्वारा पारित 13 अक्टूबर 2023 के आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए शाम 5.35 बजे जारी 13 अक्टूबर 2023 का एक ईमेल अपने संज्ञान में लाया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा है कि आदेश प्रस्तुत किए जाने के बाद, उसने इसका अध्ययन किया और देखा कि इस न्यायालय ने निर्देश जारी किए थे -

1034

/

[2023] 15 एस सी आर।

इस आशय से कि लंबित अपील में निर्णय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस तथ्य से विधिवत अवगत होने के बाद दिया जाएगा कि ए. जी. एम. का परिणाम घोषित किया जा रहा है। एन. सी. एल. ए. टी. ने 13 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए निर्णय को निलंबित करने का आदेश पारित किया है।

21 हम यह देखने के लिए विवश हैं कि 16 अक्टूबर 2023 के आदेश का उद्देश्य यह धारणा बनाना है कि एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को इस न्यायालय द्वारा पहली बार पारित आदेश से अवगत कराया गया था जब 13 अक्टूबर 2023 को शाम 5:35 बजे ईमेल प्राप्त हुआ था। यह प्रथम दृष्टया झूठ है क्योंकि यह इस न्यायालय के समक्ष वकील के बयानों के साथ-साथ हलफनामे पर भी सामने आया है कि एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को इस न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को सुबह के सत्र में पारित आदेश से विधिवत अवगत कराया गया था, जब निर्णय की घोषणा के लिए दोपहर लगभग 2.15 बजे अपील की सुनवाई की गई थी।

22 इसलिए, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्य (i) एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष को तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहे हैं, जो इस न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश के अनुसरण में जांच करने के कर्तव्य के अंतर्गत थे; और (ii) 16 अक्टूबर 2023 के आदेश में गलत तरीके से एक रिकॉर्ड बनाने की मांग की गई है कि इस न्यायालय का आदेश 13 अक्टूबर 2023 को शाम 5:35 बजे ही पीठ के संज्ञान में लाया गया था।

23 हम इस न्यायालय द्वारा उठाए जाने वाले परिणामी कदमों और इन कार्यवाहियों में जो हुआ है, उसके अनुसरण में अपनाई जाने वाली कार्रवाई पर विचार करेंगे।

24 जिस तरह से एन. सी. एल. ए. टी. ने न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्णय देने के लिए आगे बढ़ा है, वह न्यायिक न्यायाधिकरण के लिए अशोभनीय है। एन. सी. एल. ए. टी. इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इस न्यायालय के आदेश का पालन करना कर्तव्य था। इस तथ्य से अवगत कराया गया कि इस न्यायालय ने 13 अक्टूबर 2023 को सुबह के सत्र में एक आदेश पारित किया था कि वह एजीएम के परिणामों से अवगत होने के बाद निर्णय घोषित करने के लिए आगे बढ़ेगा। एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष के समक्ष सदस्य (न्यायिक) द्वारा दिए गए बयानों से संकेत मिलता है कि उन्होंने 1035 में अपनी पीठ की प्रथा के अनुसार उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी थी।

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

अर्थात् निर्णय दिए जाने के बाद उल्लेख किया जाता है। सदस्य (तकनीकी) इंगित करता है कि जबकि कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप करने की मांग की थी, पीठासीन न्यायाधीश ने उन्हें नहीं सुना था। ये दोनों बयान इस तथ्य से गलत हैं कि एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष विवाद को गंभीरता से लड़ने वाले पक्षों के बीच यह सामान्य आधार है कि पीठ को इस न्यायालय के आदेश से तब अवगत कराया गया था जब वह निर्णय सुनाए जाने से पहले दोपहर करीब 2.15 बजे एकत्र हुई थी। इसके अलावा, 16 अक्टूबर 2023 को आगे के आदेश के पारित होने से स्थिति और जटिल हो जाती है। यदि वास्तव में एन. सी. एल. ए. टी. को ए. जी. एम. के परिणाम से विधिवत अवगत कराए जाने के बाद निर्णय घोषित किया गया था, तो उसके लिए अपने निर्णय के संचालन को निलंबित करने का कोई अवसर नहीं था। पीठ का हिस्सा बनने वाले सदस्यों ने ऐसा कहने का इरादा नहीं किया है।

25 मामले के इस दृष्टिकोण में, जहां तक एल. आई. एस. का संबंध है, हमारा विचार है कि इस न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। किसी पक्ष को इस न्यायालय द्वारा पारित एक गंभीर आदेश के अनुपालन को रोकने के लिए कुटिल साधनों का सहारा लेने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है।

26 तदनुसार, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि 13 अक्टूबर 2023 के एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना दरकिनार कर दिया जाए। परिणामस्वरूप हम निर्देश देते हैं कि अपील की सुनवाई एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा नए सिरे से की जाएगी। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने लंबित अपील में पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में इस आदेश को पारित करने के लिए विवश किया गया है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है।

27 हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि श्री राकेश कुमार, सदस्य (न्यायिक) और डॉ. आलोक श्रीवास्तव, सदस्य (तकनीकी) एन. सी. एल. ए. टी. के खिलाफ इस न्यायालय के अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्रवाई की जानी चाहिए। हम तदनुसार श्री राकेश कुमार, सदस्य (न्यायिक) और डॉ. आलोक श्रीवास्तव, सदस्य (तकनीकी), एन. सी. एल. ए. टी. को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी करते हैं कि वे कारण दिखाएँ कि उन्हें एन. सी. एल. ए. टी. के अंतर्गत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

1036

/

[2023] 15 एस सी आर।

इस न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। वे 30 अक्टूबर 2023 को सुबह 10.30 पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे, जिस तारीख तक वे नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

28 जाँचकर्ता इस न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध करने की अगली तारीख को या उससे पहले जारी किए गए नोटिस के जवाब में अपना स्पष्टीकरण देगा और उस दिन इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। "

10 उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ का गठन करने वाले दो सदस्यों और जाँचकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एफ़ी डेविट्स का नेतृत्व किया गया है। हम इस आदेश के बाद के भाग में इनमें से प्रत्येक संबंध पर चर्चा करेंगे।

11 अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्री नीरज किशन कौल और श्री रंजीत कुमार पेश होते हैं। श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, एन. सी. एल. ए. टी. और सदस्य (तकनीकी) की ओर से पेश होते हैं। श्री पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ वकील सदस्य (न्यायिक) की ओर से पेश होते हैं। स्कूटिनीज़र की ओर से वरिष्ठ वकील श्री डेरियस खंबाटा पेश होते हैं।

12 सदस्य (तकनीकी) के नेतृत्व में इस न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी गई है। सदस्य (तकनीकी) ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि न्यायपीठ के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रक्रिया पर नियंत्रण, विशेष रूप से उल्लेख करने की प्रक्रिया, सदस्य (न्यायिक) के पास उसके न्यायिक प्रशिक्षण और न्यायालयों के कामकाज में अनुभव के कारण है। सदस्य (तकनीकी) ने कहा है कि 13 अक्टूबर 2023 को, जब पीठासीन न्यायाधीश और उन्होंने दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में अदालत कक्ष में प्रवेश किया, तो अदालत कक्ष असामान्य रूप से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं से भरा हुआ था। एक बार जब उल्लेख प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो सदस्य (न्यायिक) ने उन्हें निर्णय सुनाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने बाद में सुना दिया। यह कहा गया है कि किसी भी पक्ष के अधिवक्ताओं में से किसी ने

भी 13 अक्टूबर 2023 को पीठ के समक्ष वास्तविक आदेश को रिकॉर्ड में लाने और रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जो इस न्यायालय द्वारा दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में पारित किया गया था और यह कि दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में निर्णय की घोषणा के लगभग 6.27 बजे के बाद ही एनसीएलएटी रजिस्ट्री को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें 1037 के लिए न्यायाधिकरण की कार्यवाही समाप्त होने के बाद आदेश की एक प्रति थी।

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।
दिन को। सदस्य (तकनीकी) ने एन. सी. एल. ए. टी. की कार्यवाही के सी. सी. टी. वी. फुटेज और एक पेन ड्राइव का उल्लेख किया है जो प्राप्त हुआ है।

13 दूसरी ओर, सदस्य (न्यायिक) ने एक हलफनामे का नेतृत्व किया है जिसमें पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित अभिकथन दिखाई देते हैं:

“10 ... प्रतिनिधि और तकनीकी सदस्य श्री आलोक श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ दोपहर 2 बजे के कुछ मिनट बाद लगभग 2.05 बजे आई. डी. 1 पर एकत्र हुई, जब कुछ वकीलों ने मामले का उल्लेख करने की कोशिश की। हालाँकि, न तो इस माननीय न्यायालय का कोई आदेश रजिस्ट्री या कोर्ट मास्ट 3 आर के नेतृत्व में था और न ही पीठ के इकट्ठा होने से पहले पक्षों द्वारा पीठ को कोई आदेश सौंपा गया था। एन. सी. एल. ए. टी. नियम, 2016 का नियम 38 पक्षकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी दस्तावेज को न्यायालय मास्टर को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे वह दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीठ द्वारा संदर्भ के लिए रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। हालाँकि, किसी भी पक्ष के वकील द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। ”

14 सदस्य (न्यायिक) के अधिकार के अनुच्छेद 13 और 14 नीचे दिए गए हैं:

“13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय और कई अन्य न्यायालयों की तरह एन. सी. एल. ए. टी. में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि जब कोई मामला निर्णय की घोषणा के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, तो किसी भी मामले के लिए वकील द्वारा उल्लेख करने की अनुमति निर्णय की घोषणा के बाद ही दी जाती है, उससे पहले नहीं। उस प्रथा के बाद, प्रतिवादी ने वकील द्वारा उल्लेख करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद तकनीकी सदस्य अपने द्वारा लिखित निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़े।

14 यह दोहराया जाता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.10.2023 के आदेश की प्रति 13.10.2023 पर प्रतिवादी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं थी। यदि उक्त आदेश को प्रक्रिया के अनुसार प्रतिनिधि की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया जाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीठ अपना निर्णय नहीं सुनाती। ”

[2023] 15 एस सी आर।

15 सदस्य (न्यायिक) का कहना है कि 13 अक्टूबर 2023 के आदेश की एक प्रति 5 के बाद पहली बार उनके सामने लाई गई थी:35 13 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जब इसे एन. सी. एल. ए. टी. के पंजीयक द्वारा ईमेल द्वारा प्राप्त किया गया था।

16 सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने वास्तविक सुनवाई के प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति प्रस्तुत की है जो दोपहर के सत्र के दौरान 13 अक्टूबर 2023 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष हुई थी। सीसीटीवी फुटेज को न्यायालय में दो बार चलाया गया है ताकि खुले न्यायालय में मौजूद सभी लोगों द्वारा देखा और सुना जा सके। सॉलिसिटर जनरल द्वारा कार्यवाही का एक प्रतिलेख भी प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के दौरान, चूंकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को दो बार फिर से चलाया गया था, इसलिए हमें कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ निविदा की गई प्रतिलिपि का मिलान करने का अवसर मिला है। सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिलिपि पूरी तरह से नीचे दी गई है:

“13.10.2023 पर दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में न्यायालय रूम-II, NCLAT में बातचीत और आदान-प्रदान का प्रतिलेख

ध्यान दें:

(1) सीसीटीवी की घड़ी वास्तविक समय से लगभग 27 मिनट आगे है। नीचे दिए गए समय वास्तविक समय हैं।

(2) दोपहर के भोजन के बाद के सत्र की शुरुआत में न्यायालय कक्ष-II के अंदर लगभग 85-90 व्यक्ति थे:07 13.10.2023 पर PM (वास्तविक समय)।

(3) श्री रामजी श्रीनिवासन, वरिष्ठ अधिवक्ता ने 13 बजे न्यायालय कक्ष में प्रवेश किया:51 श्री कृष्णेंद्र दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता ने 13 बजे प्रवेश किया:53 घंटे।

(4) न्यायालय-II में कार्यवाही 14 बजे शुरू हुई:06:50 न्यायालय कक्ष में पीठ के सदस्यों के प्रवेश के साथ और 14 बजे मामले में समाप्त हुआ:30 घंटे।

1039

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

श्री रामजी श्रीनिवासन	क्या मैं आपकी प्रभुता की अनुमति से उल्लेख कर
--------------------------	---

	सकता हूं, इससे पहले कि आपका प्रभुता कक्षीय मामले में मेरे प्रभुता का निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़े, मुझे आपके प्रभुता को आगे के विकास से अवगत कराना होगा जो हुआ है। माई लॉर्ड्स मामले की सुनवाई सुप्रीम न्यायालय माई लॉर्ड्स ने दूसरे पक्ष के नेतृत्व में एक अवमानना याचिका में की थी। आपके प्रभुओं को याद है कि आपके प्रभुओं ने आदेश सुरक्षित रखा था।
न्यायमूर्ति राकेश कुमार	स्पष्ट नहीं।
श्री रामजी श्रीनिवासन	मेरे स्वामी, मैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, मेरे स्वामी के आदेश से बाध्य हूं। यह जो कुछ भी कहता है वह बस इतना है कि आपका प्रभु

मेरे प्रभु हैं। इसका आपके प्रभुओं द्वारा आदेश का उच्चारण करने से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन यह निर्देश दिया गया था कि हमें आपके लॉर्डशिप्स से पहले आपके लॉर्डशिप्स को सूचित करना चाहिए, इससे पहले कि आपके लॉर्डशिप्स आज यह आदेश दें कि सुप्रीम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी घोषणा मेरे लॉर्ड्स की कार्रवाई अपील के परिणाम के अधीन होगी। इसलिए मेरे स्वामी, मतदान हुआ था।

जांचकर्ता ने समाधान बोर्ड के परिणाम को परिणाम जो भी हो, के अधीन रखते हुए रोक दिया था। हमने कुछ न्यायाधीशों की राय ली थी। इसलिए, उन्होंने सलाह ली और कहा कि मैं रोक दूंगा। दूसरा पक्ष अवमानना में चला गया और यह कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि जांचकर्ता को परिणाम के अधीन परिणाम को नहीं रोकना चाहिए था, परिणाम जो भी हो, चाहे श्री छाबरिया को जारी रहना था या

	नहीं, यह घोषित किया जाना चाहिए लेकिन आपके प्रभुओं को नहीं कहना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि आपके अधिपति निर्णय सुना सकते हैं और मुझे आपके अधिपति के निर्णय से पहले आपके अधिपति को अवगत कराना चाहिए। बस इतना ही।
--	--

1040 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

माननीय न्यायमूर्ति राकेश कुमार	हमारे सामने कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है। (स्पष्ट नहीं) हमें निर्णय सुनाने की अनुमति दें।
श्री रामजी श्रीनिवासन	अपने प्रभुता से परिचित हों। मैं बस पढ़ूंगा, और कुछ नहीं। क्या मैं सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिखा सकता हूं।
माननीय न्यायमूर्ति राकेश कुमार	बस एक मिनट। इसका कोई मतलब नहीं है। (स्पष्ट नहीं)
श्री कृष्णेंदु दत्ता	नहीं नहीं नहीं। (परस्पर बातचीत, स्पष्ट नहीं)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आदेश केवल परिणामों को

	ग्रहण करने के बाद ही घोषित किया जा सकता है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है।
माननीय न्यायमूर्ति राकेश कुमार	किसी भी आदेश को आधिकारिक रूप से हमें सूचित नहीं किया गया है।
श्री कृष्णेंदु दत्ता	(इंटरजेक्टिंग) यह आज सुबह पारित किया गया था।
माननीय न्यायमूर्ति राकेश कुमार	(जारी है) और न ही इसे पारित किया गया है और न ही हमारे सामने इसका उल्लेख किया गया है। हमने निर्णय सुरक्षित रख लिया है, हम घोषणा कर रहे हैं कि it.you सुप्रीम न्यायालय जा सकते हैं।
श्री रामजी श्रीनिवासन	(क्रॉस टॉक, स्पष्ट नहीं) मेरा दोस्त आदेश को गलत बता रहा है। यह केवल यह कहता है कि प्रभुओं को आदेश से अवगत कराया जाना चाहिए. बस।
माननीय न्यायमूर्ति राकेश कुमार	हम किसी भी बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मामला 'आदेशों के लिए' शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध है जिसे हम सुन रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित कर रहे हैं, तो आप जाकर शिकायत करें (स्पष्ट नहीं)।

	हमें आदेश पारित करने दें।
श्री कृष्णेंदु दत्ता	नहीं ऐसा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज सुबह एक आदेश पारित किया है, इसे आपके सामने रखना मेरा कर्तव्य है (वह आदेश की प्रति नहीं देते हैं)
न्यायमूर्ति राकेश कुमार	आप जो कुछ भी रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, उसे एफ़्री दावित के माध्यम से करें।

1041

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

न्यायालय मास्टर	मद 1, निर्णय के लिए-2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) संख्या 64।
डॉ. आलोक श्रीवास्तव	(2020 के सी. ए. (ए. टी.) 64 में निर्णय सुनाता है)
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री	इतने गहराई से आभारी हैं। "

17 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कार्यवाही की उपरोक्त प्रतिलिपि में कोई संदेह नहीं है कि:

- (i) एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को इस तथ्य से विधिवत अवगत कराया गया था कि इस न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को सुबह के सत्र में एक आदेश पारित किया गया था।
- ((ii) जाँचकर्ता ने ए. जी. एम. के परिणाम को रोक दिया था; और
- (iii) इस न्यायालय के 13 अक्टूबर 2023 के आदेश का उद्देश्य यह था कि ए. जी. एम. के परिणाम घोषित होने के बाद एन. सी. एल. ए. टी. लंबित अपील में निर्णय सुनाएगी।

18 प्रतिलिपि से संकेत मिलता है कि श्री कृष्णेंदु दत्ता (वरिष्ठ वकील) और श्री रामजी श्रीनिवासन (वरिष्ठ वकील) दोनों ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से उपस्थित होकर इस न्यायालय के आदेश के बारे में एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ को अवगत कराया था। सीसीटीवी फुटेज से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दोनों वकीलों के पास इस न्यायालय के आदेश की एक प्रति थी और उन्होंने आदेश को पढ़ने का प्रयास किया। हालांकि, सदस्य (न्यायिक) ने कहा कि आदेश की कोई प्रति "हमें आधिकारिक रूप से सूचित नहीं की गई है"। सदस्य (न्यायिक) ने यह भी कहा कि चूंकि एन. सी. एल. ए. टी. ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए वह फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और अपीलकर्ता (उनके वकील श्री कृष्णेंदु दत्ता द्वारा प्रतिनिधित्व) "सर्वोच्च निर्णय जा सकते हैं"। सदस्य (न्यायिक) ने कहा कि "यदि आपको लगता है कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित कर रहे हैं, तो आप जाकर शिकायत करें।" पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे जो कुछ भी रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, उसे प्रस्तुत करें।

19 सी. सी. टी. वी. फुटेज के साथ-साथ प्रतिलिपि से यह संदेह की छाया से परे स्पष्ट है कि हालांकि एन. सी. एल. ए. टी. को इस तथ्य से विधिवत अवगत कराया गया था कि इस निर्णय ने 13 अक्टूबर 2023 को सुबह के सत्र में एक आदेश पारित किया था।

1042

/

[2023] 15 एस सी आर।

जाँचकर्ता द्वारा परिणाम घोषित किए जाते हैं, एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने इस न्यायालय के आदेश पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। सदस्य (न्यायिक) ने अपने हलफनामे में एन. सी. एल. ए. टी. में प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लेख किया है, विशेष रूप से, नियम 38, 101 और 102 जो निम्नानुसार हैं:

“38. संदर्भ के लिए कानून या उद्धरण।- पक्ष या अधिकृत

प्रतिनिधि, दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, न्यायालय मास्टर को विधि की पत्रिकाओं, रिपोर्टों, विधि ों और अन्य उद्धरणों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे, जिनकी संदर्भ के लिए या उनके पूर्ण पाठ की फोटो प्रति की आवश्यकता हो सकती है।

xxx xxx xxx

101. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रस्तुत करना।-

जब भी अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय के खिलाफ किसी अपील या अन्य कार्यवाही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई अंतरिम या अंतिम आदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत सूचना के लिए अध्यक्ष या सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा और संबंधित

मामले में रखा जाएगा और अनुपालन की आवश्यकता वाले निर्देशों की ओर पंजीयक का तत्काल ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

102. उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पंजीयक।-

यह पंजीयक का कर्तव्य होगा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए शीघ्र कदम उठाए। "

20 इस न्यायालय के आदेश को एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ के ध्यान में लाया गया था। कार्रवाई का सही तरीका, यदि पीठ का विचार था कि आदेश नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो निर्णय की घोषणा को स्थगित करना था ताकि पक्षकार प्रक्रिया का पालन कर सकें। इस न्यायालय का आदेश 13 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1.55 बजे अपलोड किया गया था। आदेश का सार न्यायालय को सूचित कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट है कि आदेश की प्रतियां भी संबंधित वकील के पास थीं। इसलिए, किसी न्यायिक निकाय से केवल यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि आदेश को प्रस्तुत करने की अनुज्ञात जानी चाहिए थी या, वैकल्पिक रूप से, यदि पीठ को लगता है कि इसे उचित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिलिपि से पता चलता है कि पीठ ने इस न्यायालय द्वारा पहले 13 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए ठोस निर्देश की अनदेखी करते हुए निर्णय दिया।

1043

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबड़िया और ओआरएस।

21 इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ ने इस तथ्य के बावजूद आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है कि इस न्यायालय के आदेश की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया था।

22 सदस्य (तकनीकी) ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा है कि न्यायालय की प्रक्रिया पर नियंत्रण, विशेष रूप से उन मामलों पर जिनका उल्लेख किया गया है, सदस्य (न्यायिक) के पास है जिनके पास न्यायिक मामलों में प्रशिक्षण और अनुभव है।

23 इस न्यायालय के समक्ष दी गई बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले को आगे के चरण में नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। हमारा विचार है कि सदस्य (तकनीकी) की माफी अनुज्ञात करके मामले को वहीं रुकने दिया जाना चाहिए।

24 जहाँ तक सदस्य (न्यायिक) का संबंध है, हम इस न्यायालय के पिछले आदेश में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि जो कहा गया है वह अभिलेख के विपरीत है। हम समझते हैं कि यह पिछले आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हलफनामे में जो कहा गया है, उससे और बढ़ गया है। सदस्य (न्यायिक) के हलफनामे के पैराग्राफ 10 में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि जब किसी वकील ने मामले का उल्लेख करने की कोशिश

की, तो न तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश रजिस्ट्री या कोर्ट मास्टर के नेतृत्व में था और न ही पक्षकारों द्वारा पीठ को कोई आदेश सौंपा गया था। हलफनामे में आगे कहा गया है कि एन. सी. एल. ए. टी. की प्रथा का पालन करते हुए, प्रतिवादी ने वकील द्वारा उल्लेख करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया और यह कि 13 अक्टूबर 2023 का इस न्यायालय का आदेश 13 अक्टूबर 2023 को प्रतिवादी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं था। हलफनामे में जो नहीं कहा गया है वह यह है कि इस न्यायालय के आदेश को रिकॉर्ड में रखे जाने से रोकने के लिए पीठ द्वारा एक सचेत प्रभाव बनाया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि अदालत को सुबह के सत्र में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने से अवगत कराया गया था। हम सदस्य (न्यायिक) के आचरण की निंदा करते हैं। हम इस मामले को उस स्तर पर छोड़ देंगे।

25 जहां तक जाँचकर्ता का संबंध है, यह स्पष्ट है कि 26 सितंबर 2023 के इस न्यायालय के आदेश में एक स्पष्ट निर्देश था कि 21 सितंबर 2023 को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित अंतरिम आदेश खाली हो जाएगा। एक और निर्देश था कि ए. जी. एम. के परिणाम के अनुसरण में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई लंबित अपील के अधीन होगी। जाँचकर्ता इस न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। इसके बजाय,

1044

/

[2023] 15 एस सी आर।

रिकॉर्ड से जो सामने आया वह यह था कि 26 सितंबर 2023 के आदेश के बाद, एजीएम 29 सितंबर, 2023 को हुई थी। न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि 29 सितंबर 2023 को उन लोगों के लिए एक सीमित खिड़की उपलब्ध कराई गई थी जो ऐसा करने के लिए मतदान करना चाहते थे। 29 सितंबर 2023 को शाम 5.55 बजे, स्कूटिनीज़र द्वारा फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के कंपनी सचिव को एक ईमेल संबोधित किया गया था जिसमें एजीएम में डाले गए वोटों को किस तरह से माना जाएगा, इस बारे में कानूनी राय मांगी गई थी। तब तक, मतदान 28 सितंबर 2023 को समाप्त हो चुका था। जाँचकर्ता का कहना है कि कंपनी द्वारा एक कानूनी राय प्राप्त की गई थी जिसके आधार पर उन्होंने एजीएम के परिणाम को रोकने के लिए कदम उठाए।

26 इस कार्रवाई के लाभार्थी श्री दीपक किशन छाबरिया थे, जो उस समय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री दीपक किशन छाबरिया का प्रतिनिधित्व श्री श्याम दीवान और वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने किया है। इन कार्यवाही में जांचकर्ता श्री वी. एम. बिराजदार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील श्री डेरियस खंबाटा ने किया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांचकर्ता ने 26 सितंबर 2023 को इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का प्रभावी रूप से उल्लंघन करते हुए एजीएम के परिणाम की घोषणा में देरी करने के लिए दीपक किशन छाबरिया के साथ मिलकर काम किया है। 27 हमारा विचार है कि

वाणिज्यिक हितों द्वारा इस तरह की कार्रवाई से तुरंत निपटा जाना चाहिए ताकि एक स्पष्ट अनुस्मारक दिया जा सके कि इस न्यायालय की प्रक्रिया को युद्धरत गुटों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों में पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है।

28 हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि श्री दीपक किशन छाबरिया आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रधानमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। श्री वी. एम. बिराजदार चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रधानमंत्री राहत कोष में दस लाख रुपये की राशि का भुगतान करेंगे।

29 समापन से पहले, हम सदस्य (न्यायिक) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया का बयान दर्ज करते हैं कि सदस्य (न्यायिक) ने एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव को संबोधित एक पत्र के माध्यम से आधिकारिक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है।

30 जांचकर्ता ने श्री खंबाटा के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगी है। श्री दीपक किशन छाबरिया ने वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान के माध्यम से बिना शर्त माफी भी मांगी है।

1045

ऑर्बिट इलेक्ट्रीकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपाक किशन छाबरिया और ओआरएस।

31 चूंकि कार्यवाही बंद की जा रही है, हम उन निर्देशों को दोहराते हैं जो इस न्यायालय के पहले के आदेश में जारी किए गए थे, जिसमें 13 अक्टूबर 2023 को एन. सी. एल. ए. टी. की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय अपास्त करते हुए दिया गया था। अपील की कार्यवाही अब सुनवाई और अपील के अंतिम निपटारे के लिए एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।³² हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील श्री दीपक खोसला द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों का इस न्यायालय के समक्ष मुख्य कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए अंतर्वर्ती आवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार आई. ए. को खारिज कर दिया जाता है।

33 अवमानना कार्यवाही का तदनुसार उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में निपटारा किया जाता है।

34 लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अवमानना कार्यवाही का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे